# 9

# केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

रेलवे, रक्षा, संचार, परमाणु ऊर्जा, विमानपत्तन (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) तथा आकाशवाणी को छोड़कर केन्द्र सरकार की अन्य सभी परिसम्पतियों के निर्माण और अनुरक्षण करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केलोनिवि) भारत सरकार की मुख्य एजेंसी है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सृजन जुलाई 1854 में तब हुआ जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने 'लोक कार्यों' के निष्पादन हेतु एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया । तब अजमेर प्रान्तीय मंडल का सर्वप्रथम सृजन किया गया था और इस मंडल ने अकाल सहायता सहित अनेक कार्यों का निष्पादन किया था । तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का वर्तमान रूप में औपचारिक गठन 1930 में हुआ ।

9.1 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अनेक परियोजनाओं का संचालन करता है जैसे आवास और कार्यालय परिसर, अस्पताल, वर्कशॉप और कारखाने, होस्टल और होटल, खाद्यान्न भंडार संरचनाएं, सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल और फ्लाई ओवर, विमानपत्तन, कम्प्यूटर केन्द्र तथा पर्यावरणीय और अन्य उपयोगी सेवाएं । यह विभाग कठिन भूभागों पर और प्रतिकूल स्थितियों वाले भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमा पर भी सीमा हदबंदी, पूर प्रकाश और सड़क परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है । यह एक ऐसा संगठन है जो सभी सिविल इंजीनियरी परियोजनाओं में समुचित गुणता आश्वासन के साथ योजना, अभिकल्पन, निर्माण और अनुरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में अति व्यापक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है ।

9.2 वर्षों से यह विभाग इंजीनियरी दक्षता से परिपूर्ण इमारतों का निर्माण करता रहा है। इस विभाग को देशभर में अनेकों प्रतिष्ठित भवनों यथा राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन, विज्ञान भवन तथा विभिन्न बहुमंजिला कार्यालय तथा रिहाइशी भवनों के निर्माण का श्रेय जाता है । इसने खेल, शिक्षा, कृषि आदि की आधारिक संरचनाओं का निर्माण किया है । यह केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है । इस विभाग ने विदेशों में भी बहुत कार्य किए हैं जैसे विभिन्न देशों में दूतावासों और अस्पताल भवनों का निर्माण तथा नेपाल में सड़कों और पुलों का निर्माण । वर्तमान में यह अफगानिस्तान में भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए निर्माण कार्यों का निष्पादन कर रहा है ।

9.3 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की परियोजना से सम्बद्धता कार्य स्थल के चयन के साथ आरम्भ हो जाती है । यह विभाग भू-तकनीकी खोजें, फील्ड आंकड़ा संकलन, कार्यार्थी को उसकी आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में सहायता देना, वास्तुकीय, संरचनात्मक, विद्युत, वातानुकूलन और भू-दृश्यों से संबंधित डिजाइन और नक्शे तैयार करता है, गुणता गारंटी सहित निर्माण, प्रबन्धन संबंधी कार्य करता है और निर्माण के बाद अनुरक्षण प्रबंध आदि तक कार्यों में अपना दायित्व निभाता है।

9.4 यह विभाग अभिनव तकनीकों तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी का विकास करके निर्माण के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर है । अनुसंधान संगठनों के सहयोग और समन्वय से विकसित और चयनित पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है । यद्यपि आधारभूत कार्य पद्धति की रूपरेखा अभी तैयार की जानी है, तथापि, निर्बाध विकास कार्य पद्धति (सीडीएस) को भविष्य के लिए तात्कालिक जरूरत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

9.5 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मानव बस्तियों के स्थायी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने भवनों के पुनरुद्धार तथा मरम्मत में भी विशेषज्ञता विकसित कर ली है तथा यह जीर्ण संरचनाओं को पुन: स्थापित करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है । भवनों की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए विभाग द्वारा हाल ही में एक नियम पुस्तक भी निकाली गई है ।

9.6 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास विनिर्देशों और मानकों के पूरे दस्तावेज और दर अनुसूची है जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकियों और बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप निश्चित गुणता गारंटी योजना के साथ कार्य किया जा सके । ये प्रकाशन, सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के विभिन्न निर्माण संगठनों द्वारा अपनाए जा रहे हैं । इसके अलावा, इस विभाग द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में सहायता के लिए कई नियम पुस्तिकाएं भी निकाली जाती हैं । के०लो०नि०वि० द्वारा प्रकाशित वर्षा जल संचयन नियम पुस्तिका, बुजुर्गों तथा विकलांग लोगों के लिए भवन निर्माण संबंधी दिशानिर्देश आदि प्रकाशन प्रत्येक के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हुए हैं।

9.7 विभाग अचल सम्पत्तियों से जुड़े प्रत्यक्ष कर विधि के क्रियान्वयन में (क) आयकर विभाग (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय की सिविल निर्माण यूनिट (ग) लोक निर्माण विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सहायता भी करता है ।

## संगठनात्मक ढांचा

9.8 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रधान, निर्माण महानिदेशक हैं । इस विभाग का क्षेत्राधिकार सात नियमित क्षेत्रों में बंटा है । निर्माण कार्यों तथा प्रशासनिक मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निर्माण महानिदेशक की सहायता अपर महानिदेशक (निर्माण) करते हैं । देश भर में विभाग के फील्ड एकक, देश के दूर-दराज के हिस्सों में निर्माण और अनुरक्षण कार्य करने के लिए स्थापित किए गए हैं । विभाग के देश भर में व्याप्त योजना और निर्माण एककों के तंत्र से, यह निजी क्षेत्र उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों के कार्यों को निक्षेप कार्य के तौर पर करने में भी सक्षम है।

9.9 विभाग में विकेन्द्रीयकृत कार्य-प्रणाली अपनाई गई है जो बेहतर और आसानी से उपलब्ध सेवा मुहैया कराती है। ये एकक कार्य स्थलों के पास स्थित हैं, अधिकतर क्षेत्रों में एककों को स्वायत्ता दी गई हैं । इन क्षेत्रीय एककों के प्रधान अपर महानिदेशक हैं । विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार नीचे दिए गए हैं:—

## अपर महानिदेशक (कार्यनीति एवं योजना) (मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (कार्यनीति एवं योजना) के.लो.नि. विभाग के स्थापना और प्रशासनिक कार्यों के प्रभारी हैं। अपर महानिदेशक (एस एंड पी) की सहायता केन्द्रीय स्टाफिंग पूल के मुख्य सतर्कता अधिकारी और मुख्य अभियंता (पी एंड एस) एवं दो निदेशकों द्वारा की जाती है जो सतर्कता, प्रणाली एवं कार्मिक मामलों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों की देख रेख के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, अपर महानिदेशक (कार्यनीति एवं योजना) नई दिल्ली क्षेत्र के प्रभारी भी हैं । इस क्षेत्र के अधीन तीन अंचल हैं । मुख्य वास्तुक (न०दि०क्षे०) इन क्षेत्रों में वास्तुकीय सहायता उपलब्ध कराते हैं ।

## अपर महानिदेशक (प्रौद्योगिकी विकास) (मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (प्रौद्योगिकी विकास) दिल्ली क्षेत्र के भी प्रमुख हैं । इस क्षेत्र में दो सिविल तथा एक वैद्युत अंचल है । इसके अलावा तीन मुख्य अभियंता भी हैं जो अभिकल्पन, संविदा, मानक, गुणता नियंत्रण गतिविधियों तथा परामर्शी सेवाओं पर मुख्यालय गतिविधियों की देखरेख करते हैं ।

## अपर महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र) (मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (उ॰क्षे॰), उत्तरी क्षेत्र के कार्यों को देखते हैं । इस एकक में चार मुख्य अभियंता (सिविल), एक मुख्य अभियंता (वैद्युत) तथा एक मुख्य वास्तुक हैं । उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, उत्तरांचल तथा जम्मू तथा कश्मीर के राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्यों और वैवाहिक आवास परियोजनाओं की देख-रेख के लिए इनके अंचल कार्यालय नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ तथा जयपुर में स्थित हैं ।

## अपर महानिदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) (मुख्यालय—मुम्बई)

अपर महानिदेशक (प॰क्षे॰), पश्चिमी क्षेत्र के कार्यों को देखते हैं । इसके कार्यक्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात तथा दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं । इस एकक में तीन मुख्य अभियंता (सिविल) एक मुख्य अभियंता (वैद्युत) तथा एक मुख्य वास्तुक हैं ।

## अपर महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) (मुख्यालय—कोलकाता)

अपर महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) पूर्वी क्षेत्र के कार्यों को देखते हैं । इसके कार्यक्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा तथा सभी उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं । इस एकक में तीन मुख्य अभियंता (सिविल) एक मुख्य अभियंता (वैद्युत) तथा एक मुख्य वास्तुक हैं।

## अपर महानिदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) (मुख्यालय—चेन्नै)

अपर महानिदेशक (द॰क्षे॰), दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्यों तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों के कार्यों के प्रभारी हैं । इस एकक में तीन मुख्य अभियंता (सिविल) तथा एक मुख्य अभियंता (वैद्युत) हैं।

## प्रमुख अभियंता (लोक निर्माण विभाग) (मुख्यालय—दिल्ली)

के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा रा॰रा॰ क्षेत्र दिल्ली के लोक निर्माण कार्यों को दिल्ली लो॰नि॰वि॰ में चार अंचल कार्यालयों के माध्यम से संभाला जाता है जो प्रमुख अभियंता, लो॰नि॰वि॰ के अधीन आते हैं । प्रमुख अभियंता, लो॰नि॰वि॰ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को दिन-प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट करते हैं।

## अपर महानिदेशक (सीमा) (मुख्यालय—दिल्ली)

विभिन्न संगठनों यथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, असम लोक निर्माण विभाग तथा सीमा सड़क संगठन, भारत बंगलादेश व भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ सीमा हदबंदी, सड़क व प्रकाश व्यवस्था के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए अपर महानिदेशक का एक पद है । के॰लो॰नि॰वि॰ के पांच अंचल, तीन सिविल तथा दो वैद्युत अंचल प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यों से जुड़े हैं ।

## अपर महानिदेशक (वास्तुकीय) (मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (वास्तु॰) सभी चार मुख्य वास्तुकों पर तकनीकी नियंत्रण रखते हैं । वे देश के भीतर वास्तुकीय आयोजनाओं के मामलों पर शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के तथा अन्य देशों में भारतीय दूतावासों के परामर्शदाता हैं ।

## अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण) (मुख्यालय—दिल्ली)

अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण), विभाग के कार्मिकों तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को देखते हैं तथा मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं । विभाग के पास दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै तथा कोलकाता स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ-साथ गाजियाबाद में एक पूर्ण विकसित प्रशिक्षण संस्थान है ।

9.10 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एक ऐसा संगठन है जिसने निर्माण गतिविधि के सभी पहलुओं में विशेषज्ञता हासिल कर ली है । उच्च योग्यता प्राप्त वास्तुकों, सिविल इंजीनियरों, वैद्युत इंजीनियरों तथा उद्यान विशेषज्ञों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि कार्यार्थी द्वारा प्रदत्त परियोजनाओं का के॰लो॰नि॰वि॰ समग्र रूप में निष्पादित करेगा । यह फील्ड योजना एवं अभिकल्पन के क्षेत्र में अपना परामर्श प्रदान करता है तथा साथ ही लोक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, सहकारी समितियों तथा विदेशों में परियोजनाओं के लिए अपने परामर्शी स्कंध के माध्यम से पर्यवेक्षण परामर्श भी प्रदान करता है । अब तक यह भारत से बाहर कम से कम दस देशों को विभिन्न कार्यों के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर चुका है ।

## विशेषज्ञता एकक

9.11 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में निम्नलिखित विशेषज्ञता एकक हैं:—

(i) केन्द्रीय अभिकल्पन संगठन
(ii) मानक एवं विनिर्देशन एकक
(iii) तकनीकी विधिक प्रकोष्ठ
(iv) संविदा एवं मैनुअल एकक
(v) गुणता आश्वासन एकक
(vi) परामर्शी सेवा संगठन
(vii) प्रशिक्षण संस्थान
(viii) वास्तुकीय प्रलेखन केन्द्र
(ix) भू-दृश्य उद्यान एकक

इन एककों की कार्यप्रणाली की विवेचना नीचे दी गई है:—

## केन्द्रीय अभिकल्पन संगठन

9.12 केन्द्रीय अभिकल्पन संगठन (के॰अ॰सं॰) के॰लो॰नि॰वि॰ का एक विशेषज्ञता प्राप्त एकक है । इसका गठन वर्ष 1969 में हुआ था । इसके निम्नलिखित तीन एकक हैं और प्रत्येक एकक का प्रमुख अधीक्षण अभियंता है:—

(1) 2 अभिकल्पन एकक—25 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बड़ी परियोजनाओं के संरचनात्मक और अभिकल्पन तथा जटिल प्रकृति की संरचनाओं के लिए।

(2) एक कंप्यूटर सैल — कम्परिहेंशन गवरनैंस के लिए ई आर पी सोल्यूशन उपलब्ध कराने के लिए विभाग की ई–गवरनेंस।

9.13 के॰अभि॰सं॰ अपनी स्थापना के बाद से आधुनिक विकास, विशेषकर संरचनात्मक अभिकल्प, कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में, नवीन सामग्रियों एवं नवीनतम निर्माण तकनीकों को अपनाने, सामग्री परीक्षण, मृदा जांच, क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार तथा साफ्टवेयर आदि के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुआयामी कार्यों का निष्पादन कर रहा है । इस एकक को मुख्य संरचनाओं जिनकी लागत 25 करोड़ रुपए से अधिक हो तथा/या भवनों/जटिल प्रकृति वाली संरचनाओं का अभिकल्प तैयार करने तथा भवन निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों एवं सामग्रियों को प्रोन्नत का कार्य सुपुर्द किया गया है ।

## मानक एवं विनिर्देश एकक

9.14 यह एकक निर्माण कार्यों के विनिर्देशों को अद्यतन करने, समय–समय पर परिपत्रों को जारी करने, नई सामग्रियों के लिए विनिर्देश निर्धारित करने, मूल्य सूचकांक अनुमोदित करने, दर अनुसूची आदि को संशोधित तथा अद्यतन करने संबंधी कार्य देखता है । दिल्ली दर अनुसूची 2007, दिल्ली दर विश्लेषण 2007 तथा कुर्सी क्षेत्र दर नवीनतम प्रकाशन हैं । आर सी सी के विनिर्देश को संशोधित आई एस कोड, 2000 के अनुसार संशोधित किया गया है । के॰ लो॰ नि॰ वि॰ विनिर्देशों में संशोधन का कार्य चल रहा है और इसे संभवत: इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा ।

## तकनीकी विधि प्रकोष्ठ

9.15 यह एकक माध्यस्थम् मामलों, अदालती मामलों के निपटान तथा माध्यस्थम् मामलों में तथ्यों के विवरण के प्रत्युत्तर के अनुमोदन, वाद संबंधी अन्य विषयों तथा उपर्युक्त सभी कार्यकलापों से संबंधित परिपत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी है।

## संविदा एवं मैनुअल एकक

9.16 यह एकक ठेकेदारों के पंजीकरण और पुनर्वैधीकरण, के॰लो॰नि॰वि॰ मैनुअल को अद्यतन करने जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है । यह एकक के॰लो॰नि॰वि॰ के विभिन्न अधिकारियों को संविदा, मैनुअल तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में तकनीकी परिपत्र भी जारी करता है । कार्य प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों वाले कार्यों को नियंत्रित करने के लिए संशोधित तथा अद्यतन के॰लो॰नि॰वि॰ कार्य नियम पुस्तक, 2007 प्रकाशित की गई है।

## गुणता आश्वासन एकक

9.17 यह एकक विभिन्न निर्माण और अनुरक्षण कार्यों का निरीक्षण करता है तथा निर्माण में गुणता आश्वासन के लिए निरीक्षण रिपोर्ट जारी करता है । इस एकक द्वारा बड़े निर्माण कार्यों के नियमित निरीक्षण किए जाते हैं ।

## परामर्शी सेवा संगठन

9.18 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अपने परामर्शी सेवा संगठन (सी॰एस॰ओ॰) के माध्यम से विभिन्न लोक क्षेत्र के संगठनों/स्वायत्त निकायों, राज्य सरकारों आदि को भवन निर्माण संबंधी बड़ी परियोजनाओं की योजना, अभिकल्पन, निष्पादन, जटिल सरंचनाओं और विशेषीकृत योजनाओं तथा वातानुकूलन और वैद्युत अधिष्ठापन तथा परियोजना प्रबंधन में परामर्शी सेवाएं मुहैया करता है ।

9.19 परामर्शी सेवा संगठन को कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

- बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत मुख्य मार्गों के निर्माण की योजना ।
- गुवाहाटी तथा पटना में अन्तर्देशीय जल प्राधिकरण (आई डब्ल्यू ए आई) के लिए 'घाटों' की योजना एवं अभिकल्प तैयार करना ।
- काबुल, अफगानिस्तान में विदेश मंत्रालय की ओर से हबीबिया स्कूल तथा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फार चाइल्ड हैल्थ की मरम्मत एवं पुनः बहाली का कार्य पूरा किया जा चुका है । इण्डियन चांसरी बिल्डिंग तथा न्यू अफगान पार्लियामेंट के लिए योजना का कार्य किया जा रहा है ।
- परामर्श सेवा संगठन ने आधुनिक हॉकी मैदानों तथा सिंथेटिक एथलीट ट्रैकों के लिए संविदा/विनिर्देशों को भी मानकीकृत किया है तथा यह विभिन्न स्थलों पर इन्हें बिछाने के कार्य में भारतीय खेल प्राधिकरण की सहायता भी कर रहा है ।
- विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों के लिए वास्तुकीय एवं संरचनात्मक योजनाएं तैयार करने का कार्य भी परामर्शी सेवा संगठन द्वारा किया जा रहा है ।

परामर्शी सेवा संगठन लघु उद्योग विभाग तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए कार्यों की योजना तैयार करने में भी सक्रिय रहा है ।

## प्रशिक्षण संस्थान

9.20 गाजियाबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है तथा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै तथा गुवाहाटी में इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा वर्कमैन प्रशिक्षण केन्द्र हैं । यह संस्थान सभी विधाओं के अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित करता है । इस संस्थान को गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संसाधन संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है । इस संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीधे भर्ती सहायक कार्यपालक अभियंताओं, उपवास्तुकों, कनिष्ठ अभियंताओं के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम, नव प्रोन्नत अधी. अभियंताओं व कार्यपालक अभियंताओं तथा अन्य स्टाफ के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आदि शामिल हैं । सेवारत अधिकारियों को विभिन्न चरणों पर सेवाकालिक प्रशिक्षण, स्टाफ के विभिन्न स्तरों पर कंप्यूटर अनुप्रयोग में विशेषीकृत प्रशिक्षण, आधुनिक प्रबंधन तकनीकों यथा परियोजना प्रबंधन, संविदा तथा पंचाट, पर्यावरण प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट इत्यादि भी इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

9.21 मल्टी हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में राज्य लो॰नि॰वि॰ तथा सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी संगठनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी इसी संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है । यह संस्थान कोलंबो योजना आदि के अन्तर्गत जापान इंटरनेशनल को–ओपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) इंण्डो–स्वीडिश डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एसआईडीए) के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति करने के साथ–साथ भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी अधिकारियों को प्रायोजित करता है ।

## अनुरक्षण में किये गये सुधार

9.22 के॰लो॰नि॰ विभाग ने वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान अपने अनुरक्षण कार्यों में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए हैं। सभी फील्ड अधिकारियों को और अधिक उत्तरदायी बनने तथा उनकी जानकारी में लाई गई शिकायतों

पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के निदेश जारी किए गए हैं । प्रायोगिक तौर पर के॰ लो॰ नि॰ वि॰ ने कुछ चुनींदा कालोनियों के अनुरक्षण की आऊटसोर्सिंग को जारी रखा है तथा सभी कार्यों के निष्पादन के लिए एक सिंगल एजेंसी को कार्य पर लगाया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक सफल प्रयास है तथा इससे के॰ लो॰ नि॰ वि॰ के नियमित कामगार बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं । इसके अलावा, पुराने क्वार्टरों में सौंदर्यपरक सुधार और रिट्रोफिटिंग का कार्य करने के लिए विशेष निधियों का प्रयोग किया गया । इसके साथ ही पुराने क्वार्टरों की लुक में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है तथा इससे आवासियों में अधिक संतुष्टि की भावना उत्पन्न हो रही है । विभाग ने जी पी आर ए के अनुरक्षण पर आवासियों की राय जानने के लिए ''आवासी प्रतिक्रिया सर्वेक्षण'' शुरू किया है जिसके कार्यक्षेत्र से अनुरक्षण दल को बाहर रखा गया है । इसके अन्तर्गत दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले आवासियों को ''आवासी प्रतिक्रिया फार्म'' सहित अनुरोध पत्र भेजे गए । आवासियों से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर फील्ड यूनिटों को निर्देश दिया गया कि आवासियों को अनुरक्षण की सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

## वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान के॰लो॰नि॰वि॰ की उपलब्धि

9.23 निम्न तालिका में के॰लो॰नि॰वि॰ के कार्य निष्पादन का विवरण दिया गया है:—

**कार्यभार (2008-09)**

*(रु करोड़ में)*

| क्र.सं. | विवरण | निक्षेप कार्य सहित निर्माण | निक्षेप कार्य सहित अनुरक्षण | कुल वित्तीय राशि | कुल कार्यभार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2008-09 के दौरान मार्च, 09 तक वास्तविक व्यय | 4190.00 | 885.00 | 5075.00 | 6182.00 |

**2007-08 के दौरान 5830 करोड़ रुपये का कार्यभार प्राप्त किया गया । वर्ष 2008-09 के दौरान 6182 करोड़ रु॰ के समतुल्य कार्यभार को प्राप्त करने का लक्ष्य है ।**

## सा॰पू॰रि॰आ॰ एवं सा॰पू॰का॰आ॰ का निर्माण

9.24 वर्ष 2008-09 के दौरान सा॰पू॰रि॰आ॰ एवं सा॰पू॰का॰आ॰ के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:—

- वर्ष 2008-09 के दौरान के॰ लो॰ नि॰ वि॰ ने सामान्य पूल आवास के अंतर्गत अठानवे (98) आवासों की वृद्धि की। अनुबन्ध 9-I
- वर्ष 2007-08 के दौरान के॰ लो॰ नि॰ वि॰ ने सा॰पू॰का॰आ॰ के अंतर्गत (शून्य वर्ग मी॰) कोई कार्य पूरा नहीं किया। अनुबन्ध-9-II

## मुख्य कार्यों का विवरण

9.25 वर्ष 2008-09 के दौरान के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा हाथ में लिए गए मुख्य कार्यों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:—

- वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 31.03.2009 तक प्रत्येक 2 करोड़ रुपये से अधिक लागत के एक सौ(100) मुख्य कार्य शुरू किए गए है । 9-III

- वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 31.03.2009 तक प्रत्येक 2 करोड़ रुपये से अधिक लागत के तेरह(13) मुख्य कार्य पूरे कर लिए गए हैं । इसके अलावा जनवरी 2009 से मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान और 29 कार्यों को पूरा कर लिए जाने की संभावना है । संदर्भ अनुबन्ध-9-IV
- वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 31.03.2009 तक प्रत्येक 2 करोड़ रुपये से अधिक लागत के एक सौ उन्नासी (179) मुख्य कार्यों को संस्वीकृत किया गया है । संदर्भ अनुबन्ध 9-V

## वर्ष 2008-09 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में के॰ लो॰ नि॰ वि॰ की गतिविधियाँ

### (i) बिहार राज्य में राज्य राजमार्गों का विकास

9.26 के॰ लो॰ नि॰ वि॰ को बिहार के 33 जिलों में लगभग 1705 कि.मी. लम्बाई के राज्य राजमार्गों के विकास का कार्य सौंपा गया है । लगभग 2400 करोड़ रु॰ लागत की इस परियोजना को 2010-11 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है । इस परियोजना के निष्पादन के लिए के॰ लो॰ नि॰ वि॰ की विद्यमान कार्मिक संख्या में अपवर्तन करके एक अंचल पटना में सृजित किया गया है । इस कार्य को 30 सड़क पैकेजों तथा 25 पुल पैकेजों में विभाजित किया गया है । लगभग 1577 कि॰मी॰ दूरी के तथा लगभग 2000 करोड़ रु॰ की लागत वाले 27 सड़क पैकेजों तथा लगभग 106 पुलों के लिए लगभग 171 करोड़ रु॰ के 21 पुल पैकेजों का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है । लगभग 110 करोड़ रु॰ की लागत के लगभग 90 कि॰मी॰ लम्बाई के 2 सड़क पैकेजों के कार्य का आबंटन किया गया था परंतु संबंधित एजेंसिया आबंटित कार्य को शुरू करने में असफल रही । माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इस पर स्थगनादेश दे दिया था जिससे आगे की कार्रवाई में विलम्ब हुआ। तथापि, स्थगनादेश को अंततः रद्द कर दिया गया है तथा पुनः आमंत्रित निविदाएं प्राप्त की जा रही हैं । इससे इन कार्यों को शुरू करने में लगभग 1 वर्ष का विलंब हो गया । लगभग 38 कि॰मी॰ लम्बाई के एक सड़क पैकेज का कार्य निष्पादन बिहार सरकार द्वारा आस्थगित रखा गया था । यह पूरी परियोजना वर्ष 2010-11 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है । मार्च, 2009 तक 907.38 करोड़ रु॰ का व्यय हुआ है जो अनुमानित लागत का लगभग 38 प्रतिशत है ।

### (ii) के.लो.नि.वि. द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों का निष्पादन

9.27 इस समय के॰ लो॰ नि॰ वि॰ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जम्मू, श्रीनगर, वाराणसी और धनबाद में 4 अस्पतालों की योजना, अभिकल्पन और उन्नयन कार्य में लगा है । आई॰एम॰एस॰, बीएचयू, वाराणसी का उन्नयन कार्य समग्र योजना, अभिकल्पन और निष्पादन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सं॰ जेड-29013/ 1/2004-एस एस एच दिनांक 21.9.2006 द्वारा के॰ लो॰ नि॰ वि॰ को सौंपा गया था । मैसर्स हास्पिटेक मैनेजमेंट कंसलटेंट्स प्रा॰लि॰ को समग्र योजना और अभिकल्पन के संबंध में परामर्शी सेवाओं के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया था । 72.95 करोड़ रु॰ का डीपीआर-1 निविदा आमंत्रित करने के निर्देश के साथ स्वीकार कर लिया गया था और 52.15 करोड़ रुपये की निविदा राशि सहित यह कार्य मैसर्स इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लि॰ को आंबटित कर दिया गया है । कार्य समापन की अनुमानित तारीख 6.6.2010 है ।

9.28 अस्पताल के लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र को ईसीबीसी मानकों के अनुसार ऊर्जाक्षम स्क्रू शीतन संयंत्र से वातानुकूलित किया जाएगा । आपात स्थिति में अबाधित विद्युत आपूर्ति यूपीएस 2×100 केवीए से की जाएगी तथा डी जी सेट्स 2000 केवीए से विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है । इसके भवन को 1000 लाइन्स के ईएपीबीएक्स तथा सीसीटीवी युक्त एलएएन और आईबीएमएस से युक्त करके ध्वनि सम्प्रेषण केन्द्र से भी सुसज्जित किया जाएगा । अग्नि शमन, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण जैसी सभी जरूरी व्यवस्था भी की जाएगी ।

अस्पताल में सामान्य शल्य चिकित्सा, स्नायुशल्य चिकित्सा, कार्डियोथोरिसिक सर्जरी, अस्थि रोग विज्ञान तथा अन्य सभी अनुषंगी अति विशेषज्ञता युक्त पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । इस कार्य को 20 महीने में पूरा कर लिया जाएगा ।

## (iii) के॰ लो॰ नि॰ वि॰ द्वारा बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य

9.29 के॰ लो॰ नि॰ वि॰ बिहार के बेगुसराय, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों में सड़कों का निर्माण कर रहा है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक परियोजना प्रबंधक के अधीन जून, 2005 में एक परिमंडल खोला गया । भारत निर्माण योजना के अंतर्गत संपर्क सड़क का निर्माण करके 1000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया ।

9.30 दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों जहां तक पहुंच पाना बहुत कठिन हो, को सड़कों से जोड़ने का कार्य चुनौतीपूर्ण है । इनमें से अनेक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं और वर्षा के दौरान इनसे संपर्क टूटा रहता है । पाइप पुलिया, स्लैब पुलिया, छोटे पुल तथा कुछ बड़े पुलों का निर्माण करके पानी की निकासी के पर्याप्त उपाय किए गए हैं । कई क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की समस्या है । ठेकेदारों की संख्या कम है तथा वे असामाजिक तत्वों के डर से ठेका लेने के प्रति अनिच्छुक हैं ।

9.31 ग्रामों की सड़कों के विनिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3.75 मीटर वाहनमार्ग (कैरिज वे) चौड़ाई तथा 7.5 मी॰ की सड़क मार्ग (रोड़ वे) चौड़ाई की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है । सड़क की सतह पर डब्ल्यूबीएम की दो परते (ग्रेड–II एवं ग्रेड–III) होती हैं तथा ग्रेनुलर सबबेस के ऊपर प्रत्येक परत की मोटाई 75 मि॰मी॰ है । इस सबबेस की मोटाई सबग्रेड के सीबीआर तथा यातायात की दशा पर आधारित है तथा प्राय: इसकी मोटाई 200 मि॰मी॰ होती है । सड़क को टिकाऊ बनाने के लिए 20 मि॰मी॰ मोटी प्रीमिक्स कारपेटिंग परत डाली गई है। आबादी वाले क्षेत्रों या उन क्षेत्रों जिनमें बाढ़ के दौरान सड़क के जलमग्न होने की संभावना रहती है, में 150 मि॰मी॰ मोटी ग्रेनुलर सबबेस की परत के उपर एम 30 ग्रेड कंक्रीट की 190 मि॰मी॰ मोटाई के सीमेंट कंक्रीट रोड उपलब्ध कराए गए हैं ।

| | विवरण | लम्बाई (कि॰मी॰) | निर्माण लागत (रु॰ लाख में) | अनुरक्षण लागत (रु॰ लाख में) | योग (रु॰ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| i. | एमओआरडी द्वारा अनुमोदित सड़क की कुल लम्बाई | 1969 | 99547 | 8495 | 108042 |
| ii. | आबंटित कार्य | 837 | 39888 | 3246 | 43134 |
| | (क) पूरे किए गए कार्य | 239 | 6061 | 630 | 6691 |
| | (ख) किए जा रहे कार्य | 598 | 33827 | 2616 | 36443 |
| iii. | प्राप्त निविदाएं | 130 | 7750 | 681 | 8431 |
| iv. | आमंत्रित निविदाएं | 721 | 38372 | 3553 | 41925 |
| v. | एनआरआरडीए को संशोधन के लिए भेजी गई डीपीआर्स | 606 | 36889 | 3336 | 40225 |
| vi. | जारी की गई व्यय निधि | | | | |
| | (रु॰ लाख में) | | वित्तीय वर्ष | जारी की गई | व्यय |
| | | | 2005–06 | 86.34 | 86.34 |
| | | | 2006–07 | 3705.32 | 2865.49 |
| | | | 2007–08 | 8568.00 | 6246.91 |
| | | | 2008–09 | 5346.57 | 6533.83 |
| | | | कुल योग | 17706.23 | 15732.57 |

## (iv) सीमा सड़क, हदबंदी तथा पूर-प्रकाश कार्य

9.32 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग देश के पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ सीमा हदबंदी पूर-प्रकाश तथा सड़क निर्माण कार्य के संबंध में विभिन्न निष्पादन एजेंसियों के सभी प्रस्तावों की योजना, तकनीकी संवीक्षा करता है तथा गृह मंत्रालय को तकनीकी मामलों में परामर्श देता है। के॰ लो॰ नि॰ वि॰ अन्य कार्य निष्पादक एजेंसियों यथा एन बी सी सी, एन पी सी सी, ई पी आई एल, राज्य लो नि वि आदि के साथ मिलकर इन कार्यों को निष्पादित करने में भी लगा हुआ है ।

9.33 अभी तक 3144 कि॰मी॰ लम्बी सीमा हदबंदी, 1792 कि॰मी॰ सड़क तथा 1952 कि॰मी॰ का पूर-प्रकाश कार्य के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा भारत-पाक सीमा तथा भारत-बंगलादेश सीमा पर पूरा किया जा चुका है । पश्चिमी बंगाल में भारत बंगलादेश सीमा पर चरण-III के निर्माण कार्य में विस्तृत कार्यविधि अपनाई गई है । यह कार्य पूरी तेजी से किया जा रहा है। चरण-III के अंतर्गत 514 कि॰मी॰ लम्बाई की हदबंदी में से 161 कि॰मी॰ लम्बाई की हदबंदी पूरी की जा चुकी है ।

9.34 के॰लो॰नि॰वि॰ को सीमा से लगी सड़कों, पुलों, पूर-प्रकाश आदि के रूप में सृजित आधारित संरचना के अनुरक्षण का कार्य भी सौंपा गया है । उत्तर-पूर्व के कार्यों की देख-रेख के लिए विशेष एकक खोले गए हैं । के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा संपूर्ण भारत-बंगलादेश सीमा पर लगभग 2843 कि॰मी॰ लम्बी सड़क का अनुरक्षण किया जा रहा है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 272 कि॰मी॰ लम्बाई के पूर-प्रकाश कार्यों का अनुरक्षण किया जा रहा है।

9.35 के॰लो॰नि॰वि॰ ने उत्तरांचल में 5 और सिक्किम में 3 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी ली हैं जिनकी लम्बाई का ब्यौरा इस प्रकार है :—

| राज्य | सड़कों का विवरण | लम्बाई | अनुमानित लागत |
|---|---|---|---|
| उत्तरांचल | धमसाली से गेलडंग | 24 कि.मी. | |
| | सोनम से पी डी ए | 14 कि.मी. | |
| | पी डी ए से सुमला | 05 कि.मी. | |
| | पी.डी ए से मेंदी | 05 कि.मी. | |
| | एन टी यू सोबला-सेला तेडंग | 42 कि.मी. | |
| | **कुल** | **90 कि.मी.** | **240 करोड़ रु** |
| सिक्किम | गियागंग से केरंग | 26 कि.मी. | |
| | थांगु से मुगुथांग | 31 कि.मी | |
| | डोमगंग से गोराला | 46 कि.मी. | |
| | **कुल** | **103 कि.मी.** | **231 करोड़ रु** |

पर्यावरण तथा वन मंजूरी लेने की प्रक्रिया प्रगति के चरण में है । 1 मई, 2009 से कार्य को शुरू किए जाने की योजना है।

9.36 गृह मंत्रालय ने, हाल ही में पश्चिम बंगाल तथा असम क्षेत्र में भारत बंगलादेश सीमा पर क्रमश: 1134 कि॰ मी॰ तथा 208 कि.मी. लम्बाई के लिए फ्लड लाइटिंग का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा है जिसकी

लागत क्रमशः 419 करोड़ रु. तथा 77 करोड़ रु. है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 380 कि.मी. दूरी के कार्य के अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई है । फ्लड लाइटिंग का संपूर्ण कार्य पांच वर्ष के अंदर पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

9.37 सीमा हदबंदी क्षेत्र की उपलब्धियों का विवरण अनुबंध 9-VI में दिया गया है ।

## (v) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए निर्माण कार्य

9.38 के॰लो॰नि॰वि॰ भाग भारत में अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास के विभिन्न कार्य निष्पादित कर रहा है ताकि और अधिक किफायती दरों पर सामान तथा लोगों के परिवहन के लिए इस नेटवर्क को राष्ट्रीय राज मार्गों के अनुरूप ही विकसित किया जा सके । के॰ लो॰ नि॰ वि॰, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए विभिन्न कार्यों को निष्पादित कर रहा है जिनमें जैटी, टर्मिनल भवन, सुरक्षा उपायों और विकास कार्य आदि शामिल हैं ।

9.39 केरल के वेईकम, चरेथला, तिरूक्कुननापूजा, कयामकुलम, अलुवा तथा मराडू में कार्य पहले ही सम्पन्न किए जा चुके हैं तथा पटना में गायघाट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गुवाहाटी स्थित पांडु में लो-लेवल जेट्टी का कार्य अभी चल रहा है । गुवाहाटी स्थित पांडु में पटना में गायघाट तथा विभिन्न अन्य स्थानों पर हाई लेवल जेट्टी के निर्माण का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

## (vi) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सुनामी पीड़ितों के लिए पक्के मकान

9.40 सुनामी पीड़ितों के लिए द्वीप पर बनाए जा रहे 9797 मकानों में से 7966 मकान के.लो.नि.वि. द्वारा, 1122 मकान अंडमान लो नि वि द्वारा तथा 709 मकान गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनाए जा रहे हैं। दिसम्बर, 2005 में 738 करोड़ रु. राशि की मूल संस्वीकृति अनुमोदित की गई थी। तथापि, शेल्टरों के अभिकल्प में परिवर्तन तथा अन्य कारणों से अनुमानित लागत को संशोधित करके 1221 करोड़ रु. (प्रथम संशोधन) किया गया जिसे दिसम्बर, 2006 में अनुमोदित किया गया । इसके अलावा विभिन्न कच्चे माल की मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि, कार्यों के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण अनुमानित लागत को फिर से संशोधित करके 1605 करोड़ रु. (द्वितीय संशोधन) किया गया है जिसे 23.03.2009 को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया । मंत्रियों का एक शक्तिप्रदत्त दल सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम का पर्यवेक्षण कर रहा है। सचिव (श.वि.) की अध्यक्षता में एक शक्तिप्रदत्त समिति द्विमासिक आधार पर इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करती है।

9.41 31.3.2009 तक 1270 करोड़ रु. के कुल बजट का आबंटन किया गया है । यह संपूर्ण राशि इन कार्यों में प्रयुक्त की गई है । (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए 1055 करोड़ रु., अंडमान लो.नि.वि. के लिए 215 करोड़ रु.) वर्ष 2009-10 के दौरान 335 करोड़ रु. निधि की आवश्यकता होने की संभावना है।

9.42 31.3.2009 तक कुल 6122 मकान पूरे किए जा चुके हैं । (4666 के.लो.नि.वि. द्वारा, 967 अंडमान लो. नि.वि. द्वारा, 489 गैर सरकारी संगठनों द्वारा) शेष मकानों को 31.12.2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है । जटिल ढांचागत बाध्यताओं के कारण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के एक अत्यंत कठिन स्थल होने के कारण कार्यों के समापन की अवधि का पुनर्निर्धारण करना पड़ा था। मार्च, 2010 तक इस परियोजना के विस्तार की सहमति 19.1.2009 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई द्वीप विकास प्राधिकरण की बैठक में पहले ही दी जा चुकी है।

## (vii) राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों का एकीकृत विकास

9.43 के॰ लो॰ नि॰ वि॰ को राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों के अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है । दिसम्बर, 2004 से ही के॰ लो॰ नि॰ विभाग, इन समाधियों के सभी समारोहों के लिए उपयुक्त प्रबंध कर रहा है । सरकार ने आगन्तुकों के आवागमन में सुधार लाने तथा यहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने और समाधियों पर आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन समाधियों को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। के॰लो॰नि॰वि॰ ने विशेषज्ञों की सहायता से इन क्षेत्रों के विकास के लिए एक योजना तैयार की है जिसमें बेहतर प्रकाश व्यवस्था, पैदलपथ, नवीन वृक्षारोपण और जनोपयोगी सेवाएं शामिल हैं। वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है।

## (viii) उत्तर पूर्व में के॰लो॰नि॰वि॰ की गतिविधियां

9.44 के लो नि वि उत्तर पूर्व में विभिन्न आधारिक संरचनाओं के निर्माण का कार्य करता रहा है । इस क्षेत्र में के॰लो॰नि॰वि॰ का मुख्यालय शिलांग में तथा मंडल कार्यालय गुवाहाटी, शिलांग, इम्फाल, तेजपुर, सिलचर और अगरतला में स्थित हैं।

9.45 के.लो.नि.वि. द्वारा किए गए कार्यों में विभिन्न क्षेत्र यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, जनजाति कल्याण, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, सीमा सड़कों का अनुरक्षण आदि शामिल है । के॰लो॰नि॰वि॰ इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों यथा के॰रि॰पु॰ब॰, सी॰सु॰ब॰, असम राइफल, एस॰एस॰बी॰, ए॰आर॰सी॰, एस॰आई॰बी॰ तथा एस॰ बी॰, श्रम मंत्रालय, स्थास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय सर्वेक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, आई॰सी॰ए॰आर॰, के॰वी॰आई॰सी॰, भारतीय खेल प्राधिकरण, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तथा आई॰टी॰पी॰ओ॰ आदि के लिए भी आधारिक संरचनाओं का निर्माण कर रहा है ।

## राष्ट्रमंडल खेल—2010, दिल्ली

9.46 भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन के लिए 2475 करोड़ की लागत पर निम्नलिखित मौजूदा स्टेडियमों में नवीकरण, उन्नयन तथा नए निर्माण कार्यों के लिए के.लो.नि.वि. को मुख्य परामर्शी और निष्पादक एजेंसी के रूप में चुना है।

क. **जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम कॉम्पलैक्स:** एथलेटिक्स, भारोत्तोलन और लॉन बॉल की स्पर्धाओं के आयोजन तथा खेलों के शुभाराम्भ तथा समापन समारोह के लिए।

ख. **डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल स्टेडियम:** पूरी तरह आवृत वातानुकूलित स्टेडियम उपलब्ध कराकर तैराकी की स्पर्धा के आयोजन के लिए

ग. **इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्पलैक्स:** जिमनास्टिक, साईकलिंग तथा कुश्ती की स्पर्धाओं के आयोजन के लिए । अंतर्राष्ट्रीय साईकलिंग मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टिम्बर साईकलिंग ट्रैक के साथ एक नया आवृत वेलोड्रोम निर्मित किया जा रहा है । इसमें 4000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।

घ. **मेजर ध्यान चंद्र नेशनल स्टेडियम:** मुख्य क्षेत्र में एक सिंथेटिक ट्रफ सहित तीन सिंथेटिक ट्रफ की व्यवस्था युक्त हॉकी की स्पर्धाओं के आयोजन के लिए । इस स्टेडियम में 20,000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।

ङ **डॉ. करनी सिंह शूटिंग रेंज :** 10 मी. , 25 मी. , 50 मी. तथा ट्रैप एवं स्कीट स्पर्धाओं में शूटिंग की स्पर्धाओं के आयोजन के लिए । 10 मी. रेंज पूर्ण रूप से आवृत और वातानुकूलित होगी ।

च. **फुल बोर शूटिंग रेंज :** के.रि.पु.ब. कैम्पस, कादरपुर (गुड़गांव में) 1000 मी. फुल बोर स्पर्धा के आयोजन के लिए।

छ. **डी.पी.एस. लॉन का विकास :** डी.पी.एस., आर. के. पुरम में दो सिंथेटिक ग्रीन्स युक्त लॉन बॉल के लिए प्रशिक्षण स्थल ।

ज. इंडिया गेट सी–हेक्सागॉन का विकास: राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए तीरंदाजी के अंतिम मुकाबलों के आयोजन के लिए।

9.47 नई राष्ट्रीय मादक पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला में देश में मादक पदार्थ नियंत्रण में नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा और यह देश में अपने तरह की एक अनूठी प्रयोगशाला होगी । समग्र आयोजना प्रक्रिया में नई सुविधाओं और नवीकृत संरचनाओं के प्रयोग का विशेष महत्व है। सभी स्टेडियमों में वेलोड्रोम के निर्माण को छोड़कर शेष कार्य 31 दिसम्बर, 2009 तक पूरे कर लिए जाएंगे तथा वेलोड्रोम का कार्य 31 मार्च, 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा ।

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए स्टेडियम का निर्माण कार्य

## महत्वपूर्ण आयोजन कार्यक्रम/आधारशिला समारोह/उद्घाटन

### (i) के॰लो॰नि॰वि॰ की स्थापना के 154वें वर्ष का समारोह

9.48 के॰लो॰नि॰वि ने 12 जुलाई, 2008 को अपनी स्थापना के 154 वर्ष पूरे कर लिए हैं । इस संबंध में एक समारोह विज्ञान भवन में आयोजित किया गया । भारत सरकार के माननीय शहरी विकास मंत्री श्री एस॰ जयपाल रेड्डी इसमें मुख्य अतिथि थे और इसकी अध्यक्षता, सचिव (शहरी विकास) श्री एम॰ रामाचन्द्रन द्वारा की गई । इस समारोह के दौरान के.लो.नि.वि. द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख किया गया । इसके बाद निम्न पर तकनीकी बैठक आयोजित की गई — (1) ग्रीन बिल्डिंग पैरामीटर तथा (2) निर्मित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण। तत्कालीन निर्माण महानिदेशक, श्री एच.एस.डोगरा ने बैठक की अध्यक्षता की और श्री श्री डी एस. सचदेव, निर्माण महानिदेशक ने (1) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ग्रीन बिल्डिंग मानक अपनाए जाने तथा (2) निर्मित आवासीय स्टॉक में सुधार के लिए नए उन्नयन मानक निर्धारण करने पर बल दिया।

9.49 श्री एस. चिन्नास्वामी, पूर्व अपर महानिदेशक (द.क्षे.) को वर्तमान कार्यभार पर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया ।

## (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण, कोलकाता में तरणताल का उद्घाटन

9.50 इस परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा 30.1.2004 को 3.36 करोड़ रु. की लागत से मंजूर किया गया था । इसका निर्माण बिना अधिक लागत के हुआ तथा निर्धारित समय में इसको पूरा कर लिया गया । माननीय केन्द्रीय मंत्री, डॉ. एम.एस.गिल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 112वीं जयन्ती के अवसर पर अर्थात् 23 जनवरी, 2009 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया ।

9.51 वैद्युत कार्य फिल्ट्रेशन संयंत्र, प्रकाश व्यवस्था तथा बिजली के तार बिछाने का कार्य अनुमानित तथा संस्वीकृत लागत के भीतर किया गया है तथा फिल्ट्रेशन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर सहित इसमें मात्र 9 घंटों में एक चक्र अवधि में 25 लाख लिटर गंदगी तथा लौह के निष्कासन की क्षमता है। तरणताल के चारों ओर प्रकाश व्यवस्था में विशेष रूप से अत्यंत उच्च गुणवत्ता के मेटल हैलाइड लैम्प तथा बिजली की बचत के लिए पी एल और सी एफ एल लैम्पों के लिए विशेष रूप से खंभे निर्मित किए गए हैं ।

## महत्वपूर्ण आयोजन तथा गतिविधियां

9.52 वर्ष 2008-09 के लिए विभाग के महत्वपूर्ण आयोजन कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की ब्यौरेवार सूची अनुलग्नक 9-VII में दी गई है ।

## किए जा रहे कार्य

## जवाहर लाल नेहरू भवन का निर्माण —— विदेश मंत्रालय का कार्यालय

9.53 केन्द्रीय विस्ता ऐक्सिस में स्थित विदेश मंत्रालय की मुख्यालय बिल्डिंग, जवाहर लाल नेहरू भवन का कार्य पूरा होने पर केन्द्रीय विस्ता योजना की मूल लुटियन संरचना के अभाव को दूर कर देगी तथा यह अन्य तीन इमारतों, नामतः -राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, पहले ही से विद्यमान तथा नई निर्मित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला तथा शिल्प केन्द्र में अभिवृद्धि प्रदान करेगी। 7.785 एकड़ (31,504 वर्ग मी.) माप का यह भूखंड मौलाना आजाद मार्ग तथा जनपथ के चौराहे पर स्थित है।

9.54 पूर्ण हो जाने पर इस भवन का कुल निर्मित क्षेत्र 58,285 वर्ग मी. होगा तथा यह विदेश मंत्रालय के राजनयिक तथा जन संपर्क कार्यक्रमों के लिए होगा। जवाहर लाल नेहरू भवन समसामयिक सुविधाओं से युक्त एक अधुनातन कार्यालय भवन होगा जोकि पर्यावरण तथा आसपास के वातावरण के अनुकूल होगा । असामान्य मौसम से निपटने के लिए इस भवन को परंपरागत भूदृश्य अहातों के साथ-साथ इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उनके चारों ओर कार्यालय क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकाश के साथ ही भू-दृश्य टैरेस उद्यान दृश्य है । जो दर्शनीय वातावरण प्रदान करते हैं। इस प्रकार भूदृश्य डिजाइन का एक अनिवार्य अंग है। मौजूदा भवनों के वस्तुकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्ता के बेहतर वातावरण के लिए प्रस्तावित भवन के बाहरी भाग को लाल तथा धोलपुर बलुआ पत्थर की क्लैडिंग कारीगरी से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें इसके अतिरिक्त मूल वास्तुकला जैसाकि कोलोनेडिड बरांडे, गुम्बद, ब्रैकट्स, कारनिस तथा बाहर निकली हुई बाल्कनियाँ तथा जालियां होगी ।

9.55 भवन के अंदर सभी अनिवार्य विशेषताएं तथा सुविधाएं होगी जोकि एक आधुनिक विदेशी कार्यालय भवन में होती है। इसमें नवेनतम संचार प्रौद्योगिकी, एक बेहतर इमारत प्रबंध प्रणाली होगी । पर्यावरण अनुकूल विशेषताएं जैसेकि — अंदरूनी दीवारों की ईंटों के लिए फलाईऐश ईटों का प्रयोग , जल को गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, अवशिष्ट जल पुन: चक्रण तथा वर्षा जल संचयन को भी अपनाया गया है ।

9.56 यह भवन सरकारी भवनों में शायद एकमात्र ऐसा भवन होगा जिसमें परिवेशी आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी के साथ ही मौसम नियंत्रण की सुविधा भी होगी । एक हाइब्रिड प्रणाली से एयर कंडीशनिंग की जाती है जो वाटर कूल्ड तथा एयर कूल्ड मशीनों से किया जाता है ताकि दैनिक जल खपत को न्यूनतम किया जा सके। भवन के पुर्नचक्रित अपशिष्ट जल का प्रयोग एयर कंडीशनिंग तथा भूदृश्य कार्यों के लिए किया जाएगा ।

## आई एन ए, नई दिल्ली में कार्यालय परिसर का निर्माण

9.57 विकास सदन बिल्डिंग नई दिल्ली के पास आई.एन.ए. में 7.64 एकड़ का एक भूखंड उपलब्ध है। के. लो.नि.विभाग ने इसमें छह ब्लॉक वाले कार्यालय परिसर की योजना बनाई थी। इन छह खंडों में से ब्लाक 'ए' को सी.वी.सी. के लिए निर्धारित कर दिया गया था जिसने के.लो.नि. विभाग के माध्यम से पहले ही से बिल्डिंग का निर्माण कर लिया है तथा वर्तमान समय में 1998 से इसका उपयोग कर रहे हैं ।

9.58 आरंभ में दिनांक 14.02.2005 को 83.67 करोड़ रु. की अनुमानित लागत संस्वीकृत की गई थी। नवम्बर, 2004 में के.लो.नि. विभाग ने ड्राईंग्स को अनुमोदन के लिए स्थानीय निकायों को पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। इसी दौरान जब विभिन्न सांविधिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही थी, सरकार ने अगस्त, 2006 में निर्णय लिया कि भवन के सभी ब्लॉकों के लिए केन्द्रीकृत एयर कंडीशनिंग का प्रावधान किया जाएगा । स्थानीय संस्थाओं से संशोधित अनुमोदन प्राप्त करने तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण 135. 03 करोड़ रु. का संशोधित लागत अनुमान तैयार किया गया है।

9.59 इसी दौरान समय की बचत के लिए के.लो. नि. विभाग द्वारा निर्माण पूर्व गतिविधियाँ साथ-साथ की जा रही थीं और फरवरी, 2008 के पहले सप्ताह में निविदा औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् कार्य आबंटित किया गया। 18 मास में एन. एच. आर. सी. के एक खंड के पूर्ण होने पर इसे पूरा करने का निश्चित समय 24 महीने हैं जिसमें 18 महीने में एन. एच. आर. सी. के खंड को पूर्ण किया जाना है। इस परियोजना के जून, 2010 तक पूर्ण होने जाने की संभावना है। सिविल तथा आंतरिक ई आई कार्य का निष्पादन मैसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं॰ लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

9.60 भवन खंडों को नवीनतम सुविधाओं के साथ कौशल से डिजाइन किया गया है जिसमें उत्कृष्ट विनिर्देशन अर्थात् कमरों में काचित टाईल का फर्श सरकुलेशन में ग्रेनाईट फर्श/डाडो, बाहरी ओर स्टोन क्लैडिंग, एल्युमिनियम द्वारा तथा खिड़कियाँ स्टेनलेस इस्पात रेलिंग, आंतरिक खंड में एक्रेलिक फिनिशिंग, 10 लिफ्टें, 408 ई सी. एस. की 408 भूमिगत पार्किंग, वर्षाजल संचयन, डी.जी. सैट सहित बैकअप पॉवर, सी.सी.टी.वी. इत्यादि । भवनों में पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं का प्रावधान होगा अर्थात् फलाई ऐश की ईंटें, सौर जल तापन प्रणाली, समेकित इमारत प्रबंध प्रणाली, ऊर्जा बचत प्रकाश व्यवस्था, शीतक (चिलर्स) इत्यादि के रूप में होगी ।

9.61 परिसर के पूर्ण हो जाने के पश्चात इसमें 25000 वर्ग मी. के कार्यालय स्थान की आवश्यकता पूरी होगी जिसमें कुल कुरसी क्षेत्र 51782 वर्ग मी. का होगा जिसमें 13055 वर्ग मी. का भूमिगत क्षेत्र सम्मिलित है।

आई एन. ए., नई दिल्ली में सा. पू. का. आ. (जी.पी.ओ. ए.) बिल्डिंग का मॉडल (नमूना)

## सी.बी.डी., शाहदरा , दिल्ली में जी.पी.ओ. ए. का निर्माण

9.62 सी.बी.डी., शाहदरा , दिल्ली में 1.90 एकड़ माप का एक भूखंड उपलब्ध है। 1984 में सांख्यिकी विभाग को यह भूखंड मूलत: आबंटित किया गया था। शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन से 1987 में जी.पी.ओ. ए. के लिए इस भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय लोक लोक निर्माण विभाग को किया गया था। वर्ष 1987 से भूमि पर अवैध कब्जा था और केवल मई , 2007 में अवैध कब्जे को हटाया जा सका । तदनुसार के.लो.नि.विभाग के वास्तुक ने पार्किंग के लिए दोहरे भूमिगत पार्किग वाले नक्शें तैयार किए ।

9.63 आरंभ में 19.08.2002 को 19.56 करोड़ रु. प्रोजेक्ट लागत संस्वीकृत की गई थी। के.लो.नि.विभाग ने इन नक्शों को अनुमोदन के लिए जून, 2004 में स्थानीय निकायों को प्रस्तुत किया था परंतु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जा न हटाने के कारण इन नक्शों को अनुमोदिन नहीं किया । इसी दौरान जब विभिन्न सांविधिक संस्थाओं यथा एम.सी.डी., डी.यू.ए. सी., सी. एफ. ओ., पर्यावरण संबंधी इत्यादि से नक्शों की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही थी, अगस्त, 2006 के महीने में सरकार ने यह निर्णय लिया किया कि संपूर्ण भवन खंडों के लिए केन्द्रीकृत वातानुकूलन व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त किए जाने में देरी तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण 43.14 करोड़ रु. का संशोधित लागत अनुमान अंतत: 1.4.2008 को प्राप्त किया गया।

9.64 कार्य को जुलाई, 2008 में शुरू किया गया और दिसम्बर, 2009 तक इसे पूर्ण किए जाने का लक्ष्य था । भवन को नवीनतम सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है जैसाकि—कमरों में कांचित टाईल फर्श , ग्रेनाइट

फर्श / विस्तार के लिए डोडो, स्टोन क्लैडिंग तथा बाहर की तरफ ढ़ॉचागत कांच , एल्युमीनियम द्वार तथा खिड़कियाँ, स्टेन लैस स्टील रेलिंग्स, बाहरी ओर एक्रलिक परिसज्जन, 4 लिफ्टें, 179 ई.सी.एस. की भूमिगत पार्किंग, वर्षा जल संचयन, केन्द्रीय एयरकंडीशनिंग, डी.जी. सैट सहित बैक अप पावर, सी.सी.टी.वी. इत्यादि । भवनों में पर्यावरण के अनुकूल विशेषताओं जैसे फलाई ऐश ईंट का उपयोग, सौर जल तापन प्रणाली, समेकित भवन प्रबंध प्रणाली, ऊर्जा में बचत करने वाली प्रकाश व्यवस्था , चिलर्स (शीतक) इत्यादि का प्रावधान किया जाएगा।

9.65 परिसर के पूर्ण हो जाने पर लगभग 7500 वर्ग मी. के कार्यालय स्थान की आवश्यकता इससे पूरी होगी तथा इसका कुल कुरसी क्षेत्र 15886 वर्ग मी. होगा जिसमें 6099 वर्ग मी. का भूमिगत क्षेत्र भी सम्मिलित है।

## के.लो.नि.वि.—सतर्कता

9.66 के. लो. नि. वि. की सतर्कता एकक के प्रधान केन्द्रीय स्टाफिंग पूल से मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं । सतर्कता एकक की गतिविधियों में शिकायतों की जांच करना, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध जांच, सेवा मामलों के लिए सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र जारी करना, भंडारों की आकस्मिक जांच करना तथा कार्यविधि में परिवर्तन संबंधी सुझाव देकर प्रत्युपायक सतर्कता शामिल है ।

## के.लो.नि.वि.—नागरिक चार्टर

9.67 रिहायशी और गैर रिहाइशी भवनों तथा सर्विस संबंधी अन्य कार्यकलापों के निर्माण और रखरखाव में के. लो.नि.वि. की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए के॰लो॰नि॰वि॰ द्वारा सरकार की सेवोत्तम पॉलिसी के अनुरूप के लो नि वि द्वारा नया नागरिक चार्टर लागू किया गया है और इसे फीडबैक के लिए के॰लो॰नि॰वि॰ की वेबसाइट http://cpwd.gov.in पर डाल दिया गया है ।

## के.लो.नि.वि.—शिकायत निपटान

9.68 दिल्ली में एक पूर्णरूपेण कंप्यूटरीकृत शिकायत प्राप्ति एवं मानीटरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है । इस बाबत सहायता/सेवा के लिए http://cpwd sewa.nic.in पद का उपयोग किया जा सकता है । इसे एन ई टी प्रौद्योगिकी के अनुरूप अपग्रेड किया गया है ।

9.69 के.लो.नि.वि. में नामोदिष्ट जनशिकायत अधिकारी हैं:—

श्री सुधीर कुमार,<br>
उप महानिदेशक (निर्माण),<br>
कमरा नं. 117, 'ए' विंग, निर्माण भवन,<br>
नई दिल्ली,<br>
दूरभाष: नं. 23061506

## के.लो.नि.वि.—कंप्यूटरीकरण

9.70 वास्तुकीय अभिकल्पन, संरचनात्मक अभिकल्पन एवं रूपरेखा विर्निदेशन, परियोजना प्लानिंग एवं अनुसूचीकरण, मॉनीटरिंग, दर अनुसूची तैयार करने, निविदा तर्कसंगत बनाने, वेतन रोल, कार्मिक प्रबंधन, इन्वेंटरी कंट्रोल, लेखा और बजट, अनुरक्षण प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में के.लो.नि.वि. द्वारा कंप्यूटरीकरण का प्रयोग किया

गया है । तथापि ज्ञान प्रबंधन प्रणाली तथा ई–गवर्नेंस लागू करने के लिए सरकार के दिशानिर्देशों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर के॰लो॰नि॰वि॰ ने एकीकृत कंप्यूटरीकरण के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो निर्बाधतापूर्वक पूरी सूचना ठीक समय पर उपलब्ध कराकर के॰लो॰नि॰वि॰ के सभी कार्यों को एकीकृत करेगा तथा इससे पूर्ण पारदर्शिता बनी रहेगी और अधिकारियों को सभी पहलुओं पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए समर्थ बनाएगा । चूंकि सिस्टम इन हाउस का अनुरक्षण करना व्यावहारिक नहीं है इसके स्थान पर सर्विस आधारित पद्धति लागू करने का प्रस्ताव है । सर्विस प्रदाता अंतिम परिणामों के लिए हमारी कार्यविधि को एकीकृत करेगा । डीपीआर, विनिर्देशन तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने और कार्यान्वयन फेज के दौरान के लो नि वि की पकड़ मजबूत करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए कार्रवाई की गई है ।

9.71 के॰ला॰नि॰वि॰ की वेबसाइट को और अधिक इंटरएक्टिव बनाया गया है तथा सभी सर्कुलरों को इस पर डाला जा रहा है। आगन्तुकों से फीड बैक प्राप्त करने की सुविधा भी प्रारंभ की गई है ।

9.72 पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से ई–प्रोक्योरमेंट संबंधी समझौता ज्ञापन पर के लो नि वि ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है ।